

२. संविधान की उद्देशिका

पिछले पाठ में हमने क्या सीखा !

- संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है; जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया।
- हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है।

संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है।



करके देखो

संविधान की उद्देशिका पढ़ो। उसमें आए हुए शब्दों की सूची बनाओ। ये शब्द तुम अन्यत्र कहाँ पढ़ते हो?

हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है; इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है; इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं।

संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ 'हम भारत के लोग' शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है; जिसके अनुसार सभी

भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे।

(१) प्रभुत्व संपन्न राज्य : भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह शासन १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है।

हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन-से कानून बनाएँ; यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है।

(२) समाजवादी राज्य : समाजवादी राज्य उसे कहते हैं; जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती है। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकात्रीकरण नहीं होगा; इसकी सावधानी बरती जाती है।

(३) पंथ निरपेक्ष राज्य : उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है।

किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में

स्वीकार नहीं किया जाता । नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है । धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता ।



क्या तुम जानते हो ?

पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है । हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं परंतु उनका हम मनमाना अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते । यह बात धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होती है । जब हम त्योहार-पर्व मनाते हैं तब हमें सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक होता है ।

(४) लोकतांत्रिक राज्य : लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है । उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियाँ निर्धारित करती है । सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं । इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है । अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं । इन चुनावों में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं । निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद, कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं । संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं ।

(५) गणराज्य : हमारे देश में लोकतंत्र के साथ-साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है । गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं । कोई भी सार्वजनिक पद वंश-परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता है ।

चर्चा करो

‘मेरा परिवार’ विषय पर दीपा ने क्या लिखा है ? वह पढ़ो ।

लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है । मेरे माता जी-पिता जी घर के सभी काम इकट्ठे करते हैं । उन कामों में हम भी हाथ बँटाते हैं । एक-दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं । यदि झगड़ा होता भी है; तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक-दूसरे का कहना सुन लेते हैं । यदि दादा जी-दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनसे भी पूछा जाता है । अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है । उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया ।

दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं ?

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर (मेयर), सरपंच जैसे पद सार्वजनिक पद हैं । इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुँच सकता है । राज्यसत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ।

उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को तीन मूल्यों-न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का, कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है । इन मूल्यों के अर्थ हम समझेंगे ।

(१) न्याय : न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है । सभी का कल्याण होगा; इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है । उद्देशिका में न्याय के तीन भेद बताए गए हैं । वे इस प्रकार हैं -

(अ) सामाजिक न्याय : व्यक्ति-व्यक्ति में

जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मनुष्य एक समान हैं।

(ब) आर्थिक न्याय : भूख, भुखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है।

(क) राजनीतिक न्याय : देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। इसके अनुसार १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

(२) स्वतंत्रता : हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना; स्वतंत्रता की व्याख्या है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है।

विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। विचारों के आदान-प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं।

व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा-उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व-त्योहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और

चर्चा करो

स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विधान नीचे दिए गए हैं। उनपर चर्चा करो।

- सार्वजनिक रूप में पर्व-त्योहार मनाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता।
- स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है अपितु उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना है।

पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता निहित है।

(३) समता : उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है।

इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊँच-नीच, श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। उद्देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्त्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे। वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है।

(४) बंधुता : संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएँ लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन

कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है।

हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक-दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक-दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक-दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं।

बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार हमें यह लगता है

कि दूसरे हमारे साथ आदर-सम्मान का व्यवहार करें; वैसा आदर-सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए।

जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा; तभी अपने-आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है।

भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है; इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है।



स्वाध्याय

१. ढूँढो और लिखो :

स	पं	थ	नि	र	पे	क्ष
मा	स	म	ता	ना	भा	लो
ज	बं	धु	ता	व	क	क्ष
वा	भा	व	धु	तं	न्या	नि
द	मा	लो	त्र	त्र	ए	य

- (१) देश के सभी नागरिकों और एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होना।
- (२) प्रशासन लोगों के हाथ में होना।
- (३) सभी धर्मों को समान मानना।

२. लेखन करो :

- (१) पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन-से कानून होते हैं ?
- (२) वयस्क मतदान प्रणाली किसे कहते हैं ?
- (३) आर्थिक न्याय द्वारा नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होते हैं ?
- (४) समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है ?

३. हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए; तुम अपना मत/विचार लिखो/बताओ।

४. अवधारणाएँ स्पष्ट करो :

- (१) समाजवादी राज्य -
- (२) समता -
- (३) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य -
- (४) अवसर की समानता -

५. भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन-किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है ?

उपक्रम

- (१) शिक्षकों की सहायता से मतपत्र और मतदान यंत्र (EVM) को समझ लेने के लिए तहसील कार्यालय जाओ।
- (२) अपने परिसर में उपलब्ध होने वाले समाचारपत्रों के नामों की सूची बनाओ।

